



# जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 27.09.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग व पथराव करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग व पथराव करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.08.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों में घातक हथियार से हुई फायरिंग व ईट-पत्थर से मारपीट की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर संसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कोतवाली शामली पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.बिलाल पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली। 2.सकील उर्फ टोटी पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मोनु पुत्र सतबीर निवासी ग्राम पीरखेडा थाना झिंझाना जनपद शामली



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.धर्मेन्द्र पुत्र खासा निवासी ग्राम कन्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 09 किलो 900 ग्राम डोडा बरामद:-

आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में 02 अभियुक्तों को अवैध 09 किलो 900 ग्राम डोडा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त गुलफाम थाना झिंझाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.सनव्वर पुत्र इकबाल निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.गुलफाम पुत्र फरजन्दा निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सन्नवर उपरोक्त

1.मु0अ0सं0-582/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0-438/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 401/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 578/2005 धारा 420/467/468/471/489 क,ख भादवि थाना सिविल लाइन जनपद मु0नगर।

2.मु0अ0सं0 44/2002 धारा 3/4 गुण्डा थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 60/2004 धारा 489 क,ख,ग भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 830/2009 धारा 489 ख,ग भादवि थाना बुढाना जनपद मु0नगर।

5.मु0अ0सं0 162/2001 धारा 489 ख भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 177/2002 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 781/2010 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना बुढाना जनपद मु0नगर।

8.मु0अ0सं0 513/2021 धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 199/2023 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0-400/2024 धारा 08/15 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध डोडा 09 किलो 900 ग्राम।





थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, दोनो के कब्जे से अवैध 20-20 ली0 कच्ची शराब बरामद:-

आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 20-20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अनवर पुत्र शौकत निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.आमिर पुत्र इंतजार निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 20-20 लीटर कच्ची शराब।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 पुस्तक, 01 डायरी, 01 आईकार्ड व 01 मोबाइल बरामद ।

ज्ञात हो दिनांक 27.09.2024 को वादी श्री कुसमपाल पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम अम्बैहटा याकूबपुर थाना थानाभवन जनपद शामली ने दो व्यक्तियों के द्वारा अपने पोते का इलाज कराने व रूपयों का लालच देकर ईशाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन लिखित तहरीर दाखिल की गयी । दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन को निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में 02 अभियुक्त को 02 पुस्तक, 01 डायरी , 01 आईकार्ड व 01 मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.मोनू पुत्र मीर सिंह निवासी ग्राम हरीनगर मखयाली थाना मंडी मुजफ्फरनगर ।

2.रजनीश पुत्र राजभोग निवासी ग्राम फतेहपुर देवबन्द सहरानपुर ।

आपराधिक इतिहास उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 364/24 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली ।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 02 हत्याभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं कुल 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

ज्ञात हो दिनांक 30.09.2017 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.अनिल उर्फ काला पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम बदलूगढ थाना कैराना जनपद शामली 2.गुलिस्ता पत्नी वसीम निवासी मौहल्ला सेमसिंह कालोनी थाना मिमलाना रोड जनपद मुजफ्फरनगर के द्वारा एक राय होकर वसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम कंडैला थाना कैराना जनपद शामली की तौलिया व तकीये से मुँह दबाकर हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में वादिया श्रीमती अजरा पत्नी सलीम निवासी ग्राम कण्डैला जनपद शामली की लिखित तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी गुलिस्ता व प्रेमी अनिल उर्फ काला के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 962/2017 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्तगण को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा नियमित रूप से प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे स्पे0 एससीएसटी कोर्ट कैराना द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त अनिल व अभियुक्ता गुलिस्ता पत्नी वसीम उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 25,000-25000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त व अभियुक्ता-

1.अनिल उर्फ काला पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम बदलूगढ थाना कैराना जनपद शामली

2.गुलिस्ता पत्नी वसीम निवासी मौहल्ला सेमसिंह कालोनी थाना मिमलाना रोड जनपद मुजफ्फरनगर।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 07 मामलो में 08 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व 19,100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2017 में अभियुक्त कौशर पुत्र काबुल निवासी बराला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 600/17 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2. वर्ष 2009 में अभियुक्तगण 1.पप्पू पुत्र बाबू 2. शहजाद पुत्र सूफी निवासीगण मौ0 आजाद चौक शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1761/09 धारा 324/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में 2000-2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

3. वर्ष 2001 में अभियुक्त नसीम पुत्र रसीद निवासी सैदमीर करबा व थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 29/2001 धारा 25/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

4. वर्ष 2008 में अभियुक्त हारुन उर्फ कोल्हू पुत्र रसीद निवासी रामडा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 921/2008 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

5. वर्ष 2001 में अभियुक्त प्रेम पुत्र दारी सिंह निवासी बरखण्डी थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 256/2001 धारा 406/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

6. वर्ष 2003 में अभियुक्त रमेश पुत्र इन्दल सिंह निवासी झाल थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 334/2003 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 5100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

7. वर्ष 2010 में अभियुक्त मारुफ पुत्र फखरुदीन निवासी मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 486/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.कौशर पुत्र काबुल निवासी बराला थाना कैराना जनपद शामली



- 2.पप्पू पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला आजाद चौक शामली जनपद शामली ।
  - 3.शहजाद पुत्र सूफी निवासी मौहल्ला आजाद चौक शामली जनपद शामली ।
  - 4.नसीम पुत्र रसीद निवासी सैदमीर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली ।
  - 5.हारुन उर्फ कोल्हू पुत्र रसीद निवासी रामडा थाना कैराना जनपद शामली ।
  - 6.प्रेम पुत्र दारी सिंह निवासी बरखण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
  - 7.रमेश पुत्र इन्दल सिंह निवासी झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
  - 8.मारुफ पुत्र फखरुदीन निवासी मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली ।
- SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI**